सौदामनी

अप्रैल – जून, 2015 | केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग | खण्ड–I अंक–5

प्रस्तावना

(टी. राउत)
प्रमुख (विधि)

आधुनिक समय में संपन्न और समृद्ध भाषा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसमें प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ तकनीकी विषयों की भली भांति अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए। मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आयोग के स्तर से प्रकाशित तिमाही पत्रिका 'सौदामनी' इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रही है। हम सभी जानते हैं कि भाषा का विकास उसके बहुआयामी प्रयोग से ही संभव होता है। जिस राष्ट्र की भाषा में जितने भी अधिक महत्वपूर्ण विषयों की अभिव्यक्ति हुई है वह राष्ट्र उतना ही समृद्ध एवं विकसित हुआ है।

इस पत्रिका के प्रकाशन में हम राजभाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के साथ-साथ आयोग में प्रत्येक क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देकर समस्त स्टाफ की सहभागिता भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस पत्रिका के संपादन में सरल और सहज भाषा का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है जिससे प्रत्येक स्तर का स्टाफ लाभान्वित हो सके।

इस पत्रिका के नवीनतम अंक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

संदेश

(सुशांत कुमार चटर्जी)
संयुक्त प्रमुख (विनियामक मामले)

सौदामनी पत्रिका के सभी अंकों को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस पत्रिका की शुरुआत का प्रमुख उद्देश्य भी यही रहा कि हम कार्यालय की समस्त गतिविधियों, कार्यक्रमों व उपलब्धियों की समुचित जानकारी समस्त स्टाफ को उपलब्ध करवाई जा सके। हमारे कार्यालय के स्तर से इस प्रकार का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नवीन पहल है।

इस पत्रिका में शामिल लेख, कविता व निबंध रोचक, स्तरीय एवं ज्ञानवर्द्धक हैं। हिंदी को हमारे देश के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसलिए हम सभी का यह नैतिक दायित्व भी है कि हम जहां तक संभव हो अपने दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग करें। हिंदी कार्यशालाओं, कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं समय समय पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य हम कर रहे हैं। इस पत्रिका को सुरूचिपूर्ण एवं रोचक बनाने में हमारा संपादक मंडल बेहतर कार्य कर रहा है जिसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। निस्संदेह कार्यालय के विकास कार्यों एवं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए यह पत्रिका अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है।

इस अंक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए पठन पाठन की अभिरूचि को विकसित करें

संसदीय राजभाषा को दिए गए आश्वासन की पूर्ति के लिए एवं स्टाफ में हिंदी के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यालय के पुस्तकालय में सामयिक महत्व की ज्ञानवर्द्धक एंव रूचिकर पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं मंगवाई जा रही है। इनमें विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों के अलावा कविता, कहानी, उपन्यास एवं विविध विधाओं की सुरूचिसंपन्न, लोकप्रिय तथा विचारोत्तेजक पुस्तके शामिल हैं। स्टाफ में पठन पाठन के प्रति अभिरूचि जागृत करने एवं राजभाषा के प्रगामी प्रयोग प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से पुस्तकालय में प्रेमचन्द, रविन्द्रनाथ टैगोर, नागार्जुन, शिवानी श्रीलालशुक्ल, नरेन्द्र कोहली व अन्य महान लेखकों की महत्वपूर्ण कृतियों को मंगवाया गया है। इन कृतियों के अध्ययन से हमारा मानसिक विकास होगा और हम अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति सजगता का अनुभव करेंगे।

राजभाषा कक्ष

सौदामनी

अप्रैल – जून, 2015 | केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग | खण्ड–I अंक–5

"इंटरनेट युग में हिंदी" विषय पर चर्चा परिचर्चा का आयोजन

आयोग के परिसर में दिनांक 5 जून, 2015 को इंटरनेट युग में हिंदी विषय पर चर्चा परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए माननीय सचिव महोदया एवं अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वित समिति ने अपने स्वागत संबोधन में विषय की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रत्येक स्तर के स्टाफ सदस्यों ने अपनी अभिरूचि के अनुसार मौलिक विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं निर्णायक के रूप में उपस्थित माननीय सदस्य श्री ए.एस बख्शी ने समस्त वक्ताओं के विचारों का सम्यक विश्लेषण करते हुए अपन बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने प्रतिभागियों के उत्साह की प्रशंसा करते हुए सुझाव दिया कि कार्य के दबाव व समय के अभाव में इंटरनेट के बहुधा इस्तेमाल के बावजूद अपनी रचनात्मक शक्ति को बनाए रख सकते हैं।

कार्यक्रम में अध्यक्ष एवं निर्णायक के रूप में उपस्थित माननीय सदस्य श्री ए.एस.बख्शी एवं सचिव महोदया सुश्री शुभा शर्मा द्वारा स्वागत संबोधन

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21.6.2015) के उपलक्ष्य में दिनांक 19 जून 2015 व 26 जून 2015 को दो चरणों में के.वि.वि. आयोग के कार्यालय परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग के माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक मानसिक और आत्मिक विकास तथा रोजमर्रा के कार्य में स्फूर्ति और उत्साह के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में योग विशेषज्ञ डा सत्यंत कुमार, प्रो. को आमंत्रित किया गया। इस योगाभ्यास कार्यक्रम में योगक्रियाओं के सैद्धान्तिक विवेचन के साथ साथ महत्वपूर्ण योगासनों की समुचित व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। इस योगाभ्यास कार्यक्रम में माननीय सचिव महोदया सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रत्येक स्तर के स्टाफ ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

योगाभ्यास कार्यक्रम में सहभागी स्टाफ

सौदामनी

अप्रैल – जून, 2015 | केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग | खण्ड–I अंक–5

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक

सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग के स्तर पर गठित रा.भा.का.स. की दिनांक 27 जून 2015 को समाप्त तिमाही की बैठक आयोग की सचिव एवं अध्यक्ष रा.भा.का.स. सुश्री शुभा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कंप्यूटर प्रणाली में अधिकारियों/ कर्मचारियों की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित किया गया। कार्यालय के रोजमर्रा के कामकाज में टिप्पण प्रारूप को हिंदी में तैयार करने की महत्ता पर चर्चा करते हुए रुटीन किस्म की टिप्पण/प्रारुप को हिंदी में तैयार करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही हिंदी पखवाड़े में विभिन्न प्रतियोगिताओं के अयोजन व विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत करने का भी निर्णय लिया गया। इस बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में विचार विमर्श

कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग : समस्याएं एवं समाधान

कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में भी सभी कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न किए जा सकते हैं जिसमें यूनिकोड का अत्यधिक महत्व है।

यूनिकोड का महत्व : यूनिकोड अर्थात यूनिकोड यूनि से अभिप्राय सम्पूर्ण विश्व में उपलब्धता एवं कोड से अभिप्राय निर्धारित मानदंड। यूनिकोड में वे सभी कार्य अब कंप्यूटरों पर हिंदी में किए जा सकते हैं जो अभी तक केवल अंग्रेजी में ही किए जा सकते थे। अंग्रेजी में किए जाने वाले सभी कार्यों को हिंदी एवं देशी विदेशी सभी भाषाओं में किए जाने का द्वार खोल कर यूनिकोड ने स्वयं को सर्वव्यापी व समर्थ बनाते हुए अपने नाम को सार्थक सिद्ध किया है।

क्या है यूनिकोड ?

हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कंप्यूटरों में अंग्रेजी में किया गया कार्य विश्व के सभी कंप्यूटरों में पढ़ा/भेजा जा सकता है, परंतु हिंदी में किया कार्य एक दूसरे से कंप्यूटरों में पढ़ना/भेजना सम्भव नहीं था। इसके पीछे एकमात्र कारण था कि अंग्रेजी के सभी वर्णों के लिए कंप्यूटर में एक नम्बर निर्धारित था, परंतु हिंदी के लिए ऐसी सुविधा नहीं थी अर्थात् कम्प्यूटर की अपनी कोई भाषा नहीं होती। कंप्यूटर, मूल रूप से, नम्बरों से संबंध रखते हैं। प्रत्येक अक्षर और वर्ण के लिए एक नम्बर निर्धारित करके अक्षर और वर्ण संग्रहित करते हैं। प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर प्रदान करना ही यूनिकोड है। यूनिकोड से सब कुछ बदल रहा है, चाहे कोई भी प्लेटफार्म हो, कोई भी भाषा हो; यूनिकोड स्टैंडर्ड को ऐपल, एच.पी., आई.बी.एम., जस्ट सिस्टम, माईक्रोसॉफ्ट, आईबेस, यूनिसिस जैसे उद्योग की प्रमुख कंपनियों और कई अन्य कंपनियों ने भी अपनाया है।

यूनिकोड के लाभ

हिंदी में फाइल का नाम, तारीख, चार्ट, वर्कशीट सभी कार्य करना आसान बना दिया है। यूनिकोड में हिंदी की कोडिंग से पूर्व हिंदी में ई-मेल, हिंदी के अखबार/पत्र-पत्रिकाएं, पत्रव्यवहार आदि सभी कार्य संभव हो गए है।

सौदामनी

अप्रैल – जून, 2015 | केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग | खण्ड–I अंक–5

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश नियम, अधिसूचना, करार, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्ति आदि द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंगेजी के अनिवार्य प्रश्नपत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्नपत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्नपत्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार में भी हिंदी माध्यम की उपलब्धता अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रलयों, विभागों तथा उनसे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में सभी सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं सहित अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए। प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां भी प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देने की छूट दी जाए।

सभी प्रकार की वैज्ञानिकधतकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि के विषय विशेष से संबंधित होने चाहिए। 'क' तथा 'ख' क्षेत्रें में सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यतः हिंदी माध्यम से होना चाहिए। ग क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक संबंधी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही नियुक्त किए जाएं। अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंगेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणित अनुवाद तैयार कराके रिकार्ड के लिए फाइन में रखे जाएं। विदेश स्थित भारतीय कार्यालयों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों आदि की लेखन सामग्री, नाम पट्ट सूचना पट्ट, फार्म, प्रक्रिया संबंधी साहित्य, रबड़ की मोहरें, निमंत्रण आदि अनिवार्य रूप से हिंदी अंग्रेजी में बनावाए जाएं।

संरक्षक
ए.के.सिंघल
सदस्य

www.cercind.gov.in

संपादक मंडल
शुभा शर्मा, सचिव
पी. राममूर्ति, सहायक सचिव
राजेन्द्र प्रताप सहगल
राजभाषा अधिकारी

कृपया इस पते पर अपनी प्रतिक्रिया भेजें :
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
भूतल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली–110001
Email : info@cercind.gov.in

इस पत्रिका में व्यक्त विचार लेखक के अपने है और इससे के.वि.वि.आ. की सहमति अनिवार्य नही है।